न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0सं0 2/20 ता0रजु.22.06.2020 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 01.07.2020

सरकार

बनाम

मुरारीलाल,सुरेशचन्द पुत्रान् किशनलाल जाति मीना निवासी मिलकपुर

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का मिलकपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम मिलकपुर के खसरा नम्बर 871 रकवा 0.04 हैक्ट. किस्म भूमि गै.मु.रास्ता पर सम्बत 2077 में श्री मुरारीलाल,सुरेशचन्द पुत्रान् किशनलाल जाति मीना निवासी मिलकपुर तह0 बयाना ने 0.04 हैक्ट. पर हल चलाकर एवं पत्थर के पोल गाढकर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल उपस्थित रहा द्वारा जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 871 रकवा 0.04 हैक्ट. वाके ग्राम मिलकपुर से बेदखल किया जाता है। लगान 1.24 रू का 50 गुणा पैनल्टी राशि 62 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 01.07. 2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

बयाना

ग. बे. सं. 04 के पेज नं. 03

दिनांक 7/7/20 को वर्ष 2020-21 में

62/-

की जा चुकी है।

7/7/20